न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या— 10/2012—13

श्री विनय चन्द कर
—बनाम—
श्री चिन्तामणी आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री संजय रौतेला।
अधिवक्ता प्रतिपक्षी : श्री अरूण सक्सेना।

बावत
खसरा नम्बर—176 रकबा 0.2910 है0 स्थित मौजा स्थल,
परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून द्वारा वाद संख्या—36 वर्ष 2008—09 अन्तर्गत धारा—229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम चिन्तामणी बनाम हंसराज आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 01—07—2013 के विरूद्व इस न्यायालय में योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादग्रस्त भूमि के बावत प्रतिपक्षी श्री चिन्तामणी आदि की ओर से धारा—229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, देहरादून के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस वाद में निगरानीकर्ता जो अवर न्यायालय में प्रतिवादी संख्या—1 हैं ने दिनांक 01—07—2013 को इस आशय का प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में प्रस्तुत किया कि उन्हें वाद पत्र की प्रतिलिपि प्रदान की जाय ताकि वे जबावदावा प्रस्तुत कर सकें। अवर न्यायालय द्वारा इस विवेचना सहित प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया कि प्रतिवादी को वाद पत्र की प्रति पूर्व ही प्रदान की जा चुकी है और वे अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। अवर न्यायालय द्वारा पारित इस आदेश के विरूद्व निगरानीकर्ता ने यह निगरानी योजित की है।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता को अवर न्यायालय में जबावदावा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। पूर्व में निगरानीकर्ता ने एक अन्य अधिवक्ता नियुक्त किए थे जिस कारण जबाव दावा समय से प्रस्तुत नहीं किया जा सका और अवर न्यायालय में निगरानीकर्ता ने अपना नया अधिवक्ता दिनांक 01—07—2013 को नियुक्त कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता को जबावदावा प्रस्तुत करने का समय प्रदान किए बिना ही वाद साक्ष्य हेतु लगा दिया। निगरानीकर्ता को अवर न्यायालय में वाद पत्र की कोई प्रति प्रदान नहीं की गई। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता

निगरानीकर्ता द्वारा आर0डी0 1998 पृष्ठ 558 मा0 उच्चतम न्यायालय एवं आर0डी0 2002(93) पृष्ठ 599 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी द्वारा तर्क दिया गया कि निगरानीकर्ता ने वर्ष 2010 में अवर न्यायालय में विचाराधीन वाद में विक्रय पत्र के आधार पर पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 16–03–2010 को प्रस्तुत किया था और न्यायालय द्वारा उन्हें आदेश दिनांक 27–09–2010 से पक्षकार बनाए जाने हेतु वादी को वाद में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 05–10–2010 को वाद पत्र में निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाए जाने हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 11–10–2010 को स्वीकार किया गया। निगरानीकर्ता को इसी दिन वाद पत्र की प्रति प्राप्त करा दी गई थी, परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में निरन्तर वाद पत्र की प्रति प्रदान किए जाने एवं जबावदावा प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की जाती रही। निगरानीकर्ता द्वारा कई तिथियां लिये जाने के बावजूद भी जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण दिनांक 01–07–2013 को निगरानीकर्ता को जबावदाव प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा जानबूझकर जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। निगरानीकर्ता को अभी अवर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। निगरानी निरस्त की जाय।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता श्री विनय चन्द की ओर से दिनांक 16–03–2010 को विचाराधीन वाद में अपने अधिवक्ता के माध्यम से वकालतनामे सहित पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और इस प्रार्थना पत्र पर उनके अधिवक्ता द्वारा नकल प्राप्त किये जाने का भी अंकन किया गया है। इस प्रार्थना पत्र पर वादी पक्ष द्वारा दिनांक 27–09–2010 को निगरानीकर्ता को न्यायालय आदेश से पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित किए जाने की सहमति प्रदान की गई जिसके कम में विद्वान सहायक कलेक्टर ने दिनांक 27–09–2010 को निगरानीकर्ता विनयचन्द को वाद में पक्षकार बनाते हुए वादी को वाद पत्र संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गए। न्यायालय आदेश के अनुपालन में वादी पक्ष द्वारा वाद पत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 05–10–2010 को अवर न्यायालय ने आदेश दिनांक 11–10–2010 से स्वीकार कर प्रतिवादीगणों को संशोधित वाद पत्र की प्रति दिये जाने के आदेश पारित किए गए। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के आदेश पत्र दिनांक 02–11–2010 एवं 10–11–2010 के अवलोकन से यह दृष्टिगत है कि इन आदेशों में निगरानीकर्ता/अवर न्यायालय के प्रतिवादी को उनके प्रार्थना पत्र के कम में जबावदावा प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा समय प्रदान किया गया। इसके पश्चात दिनांक 27–11–2010, 13–12–2010, 04–01–2011,

07–02–2011, 21–03–2012 को भी निगरानीकर्ता को अवर न्यायालय ने जबावदावा प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया। अवर न्यायालय में विचाराधीन वाद की कार्यवाही के दौरान ही दिनांक 01–07–2013 को निगरानीकर्ता ने अवर न्यायालय में एक अन्य अधिवक्ता का वकालतनामा प्रस्तुत कर वादपत्र की प्रति प्रदान किये जाने एवं जबावदावा प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया जिसे विद्वान सहायक कलेक्टर ने आदेश दिनांक 01–07–2013 से यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि प्रतिवादी को पूर्व में ही वाद पत्र की प्रति प्रदान की जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में स्वंय ही जबावदावा प्रस्तुत करने में कोई रूचि नहीं ली गई है। वाद पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय में कई तिथियों पर निगरानीकर्ता द्वारा जबावदावा प्रस्तुत करने हेतु स्वंय ही समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय की कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अभी अवर न्यायालय में वाद की कार्यवाही विचाराधीन है और निगरानीकर्ता को अवर न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। जहाँ तक अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्थाओं का प्रश्न है वे इस वाद की प्रकृति से भिन्न हैं।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी में ऐसा कोई ठोस कारण दर्शित नहीं है जो निगरानी को स्वीकार किए जाने में सहायक हो। अतः बलयुक्त न होने के कारण निगरानी अस्वीकार की जाती है।

दिनांकः 21 अप्रैल, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।